भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 193/6/2/2018(कर्नाटक) **दिनांक : 27.03.2018**

<u>कार्यालय आदेश</u>

आधिकारिक उद्घघोषणा से पहले कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की अनुसूची के संबंध में सूचना कथित रूप से लीक होने के मामले में जांच करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति एतद्द्वारा गठित की जाती है।

(i) श्री उमेश सिन्हा, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त

(ii) श्री संदीप सक्सेना, उप निर्वाचन आयुक्त

(iii) श्री सुदीप जैन, उप निर्वाचन आयुक्त

(iv) श्री चन्द्र भूषण कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त

(v) श्री धीरेन्द्र ओझा, महानिदेशक

(vi) श्री स्टैण्डहोप युहलुंग, प्रधान सचिव (प्रशासन)-(समन्वयक)

2. समिति की संदर्भ शर्तें निम्नलिखित अनुसार हैं:-

(i) कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की अनुसूची की आधिकारिक उद्घोषणा से पहले इससे संबंधित सूचना स्रोत के संबंध में और जिस रीति से इसे प्राप्त किया गया उसके सम्बन्ध में मीडिया से पूछताछ करना।

(ii) कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की आधिकारिक उद्घोषणा से पहले इसकी अनुसूची के संबंध में श्री श्रीवास्तव बी, कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रभारी, कर्नाटक के ट्वीट्स की सूचना के स्रोत से संबंधित पूछताछ करना।

(iii) कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 की अनुसूची के बारे में आधिकारिक उद्घोषणा से पहले इसके सूचना के स्रोत के बारे में पौलोमी शाह द्वारा ट्वीट किए गए एक @बीजेपी4इण्डिया के कथित स्वामित्व वाले कन्नड चैनल से पूछताछ करना (मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के माध्यम से)।

(iv) समिति किसी चूक, यदि कोई हुई हो, की भी जांच करेगी।

(v) समिति यह भी संस्तुति करेगी कि इस प्रकार की संभाव्यताओं को कैसे रोका जा सकता है।

3. समिति प्रतिदिन आधार पर इस विषय पर विचार-विमर्श करेगी और सात दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश से,

ह./-

(बी.सी. पात्रा)

सचिव